

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अत्यावश्यक सूचना

बिहार राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत सभी सेवा संवर्ग के तहत कार्यरत नियमित/संविदागत चिकित्सक कृपया ध्यान दें !

आप अवगत है कि सभी संवर्ग के नियमित एवं संविदागत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों का व्यक्तिगत, शैक्षणिक, पदस्थापन इत्यादि से संबंधित सूचनाएँ विहित प्रपत्र में प्राप्त कर मानव संसाधन सूचना तंत्र (HRIS) पोर्टल पर अपलोड किया गया है। HRIS पोर्टल पर अपलोड की गई सूचनाओं को जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर से **Validate** कराकर पूर्ण एवं शुद्ध करने की प्रक्रिया की गई है। परन्तु मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ें अभी भी अपूर्ण एवं अशुद्ध है।

अतः निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम HRIS पोर्टल पर चिकित्सकों के मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों को निम्नानुसार पूर्ण एवं शुद्ध करने की प्रक्रिया कर अंतिम रूप दिया जाय -

(क) चिकित्सक स्वयं HRIS के वेब पोर्टल पर अपलोड की गई अपनी सूचनाओं को निम्न प्रक्रिया के अनुसार देखकर **Validate** करेंगे -

<p>Step-1 HRIS के वेब पोर्टल - www.healthhrisbihar.org को खोल कर User Id - generalusers एवं password - hris से Login करें।</p> <p>Step-2 Login करने के बाद 'Search Record' Option को Click करें।</p> <p>Step-3 Quick Search में अपना Person Id डाल कर 'Go' Option को Click करें। इसके बाद आपका रिकॉर्ड Open हो जायेगा।</p> <p>Step-4 आपसे संबंधित पूरी सूचना देखने के लिए रिकॉर्ड में दिये Person Id को Click करें।</p> <p>Step-5 Hard Copy निकालने के लिए Ctrl+P बटन को Press करें।</p>	<p>नोट - आप अपने रिकॉर्ड को 'Search Records' -> 'Search People' Options को Click कर एवं अपनी जन्मतिथि, पदनाम इत्यादि के आधार पर भी Search कर देख कर सकते हैं।</p>
---	--


(ख) अगर सूचनाएँ अपूर्ण / अशुद्ध हो तो सूचनाओं की Hard Copy निकाल कर सूचनाओं को पूर्ण एवं शुद्ध करेंगे एवं संबंधित नोडल पदाधिकारी - HRIS से संपर्क कर सूचनाओं को HRIS पोर्टल पर पूर्ण एवं शुद्ध करायेगें। HRIS के लिए नामित नोडल पदाधिकारी का नाम, फोन नं० एवं संबंधित दिशा-निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org के "Guideline and Health Employees Data Collection Form" लिंक पर उपलब्ध हैं। शुद्ध करवाने हेतु आवेदन की Scan copy hriscellhealth@gmail.com पर भेज दे।

(ग) HRIS पोर्टल पर सूचनाओं को पूर्ण एवं शुद्ध करवाने के बाद उसकी Hard Copy निकालेंगे। Hard Copy पर ही यह घोषणा करते हुए हस्ताक्षर करेंगे कि ये सभी सूचनाएँ सत्य हैं एवं इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार कर सकता है। इसकी एक प्रति अपने संदर्भ के लिए भी रखेंगे।

अतः सभी चिकित्सकों को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार 30 सितम्बर 2013 तक अपने से संबंधित मानव संसाधन के आंकड़ों को HRIS के वेब पोर्टल पर निश्चित रूप से पूर्ण एवं शुद्ध करा लें।

30 सितम्बर 2013 के उपरांत HRIS Portal पर उपलब्ध चिकित्सकों के मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ें ही स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के द्वारा प्रोन्नती, तबादला इत्यादि के लिए उपयोग किया जायेगा। अगर इसमें कोई विसंगति होती है तो आप इसके पूर्ण जिम्मेवार होंगे।

नोट - सभी क्षेत्रिय उपनिदेशक, सिविल सर्जन एवं HRIS के लिए प्रत्येक स्तर पर नामित नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के इस अतिमहत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से समय सीमा के अन्दर करायेगें।


(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव